न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस
राजस्व वाद प्रकरण सं0 GCMS No 2022/
दायरा तिथि : 18.05.2022
निर्णय तिथि : 13-09-2022

वादीगण :–
1. श्री बसंतकुमार पुत्र श्री रूपचन्द
2. श्री अशोककुमार पुत्र श्री रूपचन्द
3. प्रदीपकुमार पुत्र श्री रूपचन्द जातिगण जैन
   निवासीगण मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

प्रतिवादीगण :–
1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
2. मंदिर श्री महादेवजी जरिये केयर टेकर-नायब तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–
1. श्री गणपतलाल चौधरी ..... अभिभाषक वादीगण की ओर से
2. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार ...पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 13-09-2022

वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वर्ष 1993 में प्रस्तुत किया। वादपत्र में ग्राम मुण्डारा स्थित भूमि पुराने खसरा नंबर 1019 रकबा साढे 22 बीघा मेंसे साढे ग्यारह बीघा तीन बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के वादीगण की खरीद शुदा भूमि से बने हाल खसरा नंबर 1205 रकबा 1.67 हैक्टर की घोषणा खातेदारी अनुतोष चाहा गया। जो राजस्व वाद संख्या 78/93 बअनवान् रूपचन्द वगैरा बनाम राज.सरकार वगैरा दिनांक 06.08.2008 को वादीगण के पक्ष में इस न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.08.2008 के विरूद्व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में अपील हुई। जो अपील संख्या 78/2008 बअनवान् राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाली व अन्य बनाम रूपचन्द वगैरा दिनांक 17.05.2010 को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा खारिज करते हुये इस न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा गया। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 17.05.2010 के विरूद्व तहसीलदार, बाली द्वारा अपील माननीय राजस्व मंण्डल, अजमेर में की गई। जो अपील संख्या अपील/डिक्री/टीए/7182/2011/पाली बअनवान् राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाली व अन्य बनाम रूपचन्द वगैरा दिनांक 17.06.2019 को माननीय राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा स्वीकार करते हुये इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2010 को निरस्त किया गया। माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दोनो न्यायालयो के निर्णयो को निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषण किया गया कि तनकीयात कायम की जाकर वाद में दोनो पक्षो को साक्ष्य व सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करे। प्रकरण माननीय राजस्व मंडल, अजमेर से पुनः सुनवाई के लिये प्राप्त होने पर दिनांक 18.05.2022 को प्रकरण पुनः सुनवाई पर लिया जाकर प्रकरण को वास्ते कायमी तनकियात रखा गया। दिनांक 31.05.2022 की नियत पेशी को वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा जाहिर किया गया कि प्रकरण में पुर्व में वाद बिन्दु कायम किये जाने के पश्चात् ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.08.2008 को वादी के पक्ष में वाद डिक्री किया गया था। इस तथ्य को माननीय राजस्व मंडल, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 17.06.2019 के पृष्ठ संख्या–03 पर अंकित बिन्दु संख्या 07 में स्वीकार करते हुये अभिलिखित किया गया कि विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में 08 तनकियात कायम की गई थी किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी तनकी का विस्तृत विवेचन नहीं किया गया है जबकि विचारण न्यायालय को चाहिये था कि वर्णित तनकियात का साक्ष्य के आधार पर विवेचन करते। इस प्रकार निर्णय के बिन्दु संख्या 07 में तनकियात कायम होने का स्पष्ट उल्लेख होने के बावजुद अंतिम पैरा बिन्दु संख्या 08 में लिपिकीय भूल से निर्णय में तनकियात कायम करने का अंकन कर दिया है, इसके बजाय निर्णय में तनकियार निर्णय के निर्देश मानते हुये प्रकरण को बहस के लिये रखे जाने की दलील दी। जिससे पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 17.06.2019 के बिन्दु संख्या 07 व 08 में उल्लेखित निर्देशो के अवलोकन पश्चात् पत्रावली को बहस के लिये रखा गया।

विद्वान् वकील वादी श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि ग्राम मुण्डारा में स्थित भूमि पुराने खसरा नंबर 1019 रकबा साढे 22 बीघा के खातेदार लक्ष्मणपुरी चेला तेजपुरीजी गुसाई निवासी मुण्डारा से वादीगण ने साढे ग्यारह बीघा तीन बिस्वा भूमि

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पत्र के वादीगण द्वारा खरीद की गई जिसका नामान्तरकरण संख्या 336 दिनांक 25.5.1971 को वादीगण के नाम दर्ज हुआ। उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी में होते हुये भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् भू0प्रबन्ध कर्मचारियो ने बिना किसी आधार अधिकार के गत् खसरा नंबर 1019 में खरीद शुदा भूमि साढे ग्यारह बीघा तीन बिस्वा भूमि के नये खसरा नंबर 1205 रकबा 1.67 हैक्टर कायम करते हुये वादग्रस्त भूमि को मंदिर श्री महादेवजी के नाम दर्ज कर दिया। भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही त्रुटिपुर्ण होने तथा अधिकार क्षैत्र से परे होने से वादीगण को वादग्रस्त भूमि मुण्डारा के हाल खसरा नंबर 1205 रकबा 1.67 हैक्टर का खातेदार घोषित किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील वादी श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा निम्न कानूनी उद्धहरण पेश किये गयेः–

1. **2018(2) RRT पेज 1030 जिसके अनुसार**– राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 धारा 136 अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ने निर्णय अपास्त किया तथा विचारण न्यायालय को मामला प्रतिप्रेषित किया– अपील पेश करने में 40 माह से अधिक का विलम्ब–विलम्ब का शमन– विलम्ब शमन हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं किये– सरकारी अधिवक्ता की उपस्थिति में निर्णय पारित किया– **हेमा पुत्र कन्ना के नाम खातेदारी दर्ज की– इन्द्राज परिवर्तित करने का सैटलमेन्ट विभाग को अधिकार नहीं हैं**– इन्द्राज दर्ज करने में त्रुटि को धारा 136 के अन्तर्गत सही किया जा सकता है– निर्णीत, आदेश पारित करने में अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त न कोई त्रुटि नहीं की है। (पैरा 9, 10, 11)

2. **2018(1) RRT पेज 292 जिसके अनुसार**–राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956– धारा 76 सपठित 9– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955– धारा 46–10 बिस्वा भूमि को माफी मन्दिर के नाम दर्ज करने का आदेश– वसीयत के आधार पर सम्भागीय आयुक्त ने भूमि को रेस्पोण्डेन्ट ''के'' के नाम दर्ज करने का आदेश दिया– भू0प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित किया आदेश दिनांक 26.06.1984 पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं– **सम्वत् 2011 से 2013 में भूमि बेरछा के नाम दर्ज थी– भू प्रबन्ध अधिकारी ने क्षैत्राधिकार के बाहर आदेश पारित किया– मन्दिर की खुदकाश्त भूमि नहीं, न मन्दिर के कब्जा काश्त में थी**– निर्णीत, आदेश न्याय संगत व वैध है व पुष्ट किया। (पैरा 8, 9, 10, 11, 12, 13)

3 .**2013(1) RRT पेज 226 जिसके अनुसार**– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955– धारा 88, 188 व 53 घोषणा, विभाजन और स्थायी निषेधाज्ञा– राजस्व अपील प्राधिकारी ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया– ''के '' का 1/3 हिस्सा दर्ज था और '6 बी'' का 2/3 हिस्सा संवत् 2037 से 2040 की जमाबंदी में दर्ज था– बन्दोवस्त अधिकारी पूर्व की विद्यमान प्रविष्टियों को परिवर्तित करने हेतु सक्षम नहीं हैं– वादीगण संवत् 2012 से 2040 तक रेकार्डेड खातेदार कृषक थे– **भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये परिवर्तन बिना अधिकारिता के हैं– निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया** व विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पुष्ट किया। (पैरा 12, 13, 14, 16)

4. . **RRD 2002 पेज 286 जिसके अनुसार**– Settlement Dept. has no authority to enter names of other persons on application or statement without documentary evidence like registered sale-deed or on the basis of succession- No notice issued to 'G'- order of settlement commr. , set aside and that of Settlement officer, confirmed. (paras 6&7)

5. **RRD 2002 पेज 540 जिसके अनुसार** –Rajasthan Lane Revenue Act, section 135- Revision against order of Divisional Commissioner- Held, Asst. Settlement officer is not empowered to change the khatderi rights u/s 48, RT Act-He is empowered to change the entries inrespect of succession, registered document and in compliance og any order or decree passed by Court having jurisdiction- Order of Add. Collector, confirmed- order of A.S.O. is out of jurisdiction and illegal- Mutation ordered by A.S.O. set aside. (paras 4&5)

प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने बहस में वकील वादी की दलीलो का खण्डन करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी मन्दिर श्री महादेवजी महाराज की खातेदारी की आराजी होने के कारण बन्दोवस्त अधिकारियों द्वारा यह आराजी मन्दिर महादेवजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई है जिसमें कोई विधिक अनियमितता नहीं की। परन्तु विवादित आराजी बन्दोवस्त संवत् 2009 से 2028 में दर्ज प्रविष्टि अनुसार भूमि डोली बनाम महोदवजी सा. देह बएतमाम पुजारी लक्ष्मणपुरी चेला तेजपुरी कौम गोसांई के नाम दर्ज कर दी गयी एवं उसने इस आराजी का बेचान कर दिया जो विधिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। पुर्व पारित निर्णय में इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि विवादित आराजी मन्दिर श्री महादेवजी महाराज की खातेदारी की आराजी हैं एवं मूर्ति मन्दिर श्री महादेवजी एक शाश्वत नाबालिग है जिसकी आराजी की कानूनन किसी व्यक्ति को खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती हैं ना ही मन्दिर की आराजी का बेचान किया जा सकता हैं। इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में जो बेचान किया गया है। वह विधिक प्रावधानों के विपरीत है। जिससे विवादित आराजी मन्दिर श्री महादेवजी की खातेदारी की आराजी होने के कारण सैटलमेन्ट विभाग द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए मन्दिर के नाम पुनःदर्ज

पेज लगातार.....03

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने पुर्व में इस न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में पारित डिक्री को निरस्त करते हुये प्रकरण को पुनः प्रतिपेषण किया है। अतः वादी पक्ष का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। पत्रावली उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है:-

1. क्या वादी संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा यह वाद वादी संख्या-01 द्वारा अन्य वादीगण के ज्ञान एवं अनुमति से प्रस्तुत किया गया हैं? .....वादी

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व वादी पक्ष का था। प्रस्तुत वादपत्र में उल्लेखित तथ्यो एवं वाद शीर्षक के अवलोकन से यह प्रमाणित हैं कि वादी संख्या 02 से 04 वादी संख्या 01 के पुत्रगण है, जिससे यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हैं कि वादी संयुक्त परिवार के सदस्य है। तथा वादी संख्या-01 द्वारा उक्त वाद अन्य वादीगण के ज्ञान व अनुमति से प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादी संख्या-01 फौत होने से वर्तमान में उक्त तनकी का कोई औचित्य नहीं रहता है।

2. क्या वादग्रस्त भूमि मुण्डारा के गत् खसरा नंबर 1019 वादीगण के खातेदारी की है तथा उन्ही का काश्त एवं कब्जा है ?.....वादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व वादीगण का था। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात हैं कि वादग्रस्त भूमि मुण्डारा के गत् खसरा नंबर 1019 में नामान्तरकरण संख्या 336 दिनांक 29.05.1971 के आधार पर वादीगण खातेदार दर्ज हुये। परन्तु भू0 प्रबन्ध बाद के अधिकार अभिलेखों में मुण्डारा के गत् खसरा नंबर 1019 से बने हाल खसरा नंबर 1205 रकबा 1.67 हैक्टर मंदिर महादेवजी के नाम की खातेदारी में चल रही है। जिसकी खातेदारी घोषणा के लिये वादी द्वारा उक्त वाद पेश किया है। अर्थात् वर्तमान में उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज नहीं है। जहां तक मौके पर कब्जे काश्त का सवाल है, विधि अनुसार रेकर्ड में दर्ज खातेदार का ही कब्जा माना जाता है। वादी पक्ष का मौके पर कब्जा काश्त का न तो कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश किया गया एवं न ही वादी पक्ष के गवाह p.w-01 से p.w-04 यथा गवाह रूपचन्द पुत्र हीराचंदजी जैन, धन्नाराम पुत्र डालजी घांची, गवाह हेमराज पुत्र भूरमलजी जाति जैन एवं गवाह पटवारी हल्का, मुण्डारा श्री चेनाराम चौधरी भी अपने बयानो में वादीगण के कब्जे काश्त को साबित नहीं कर पाये है। जिससे तनकी संख्या-02 वादीगण के विरूद्व एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. क्या वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या-03 द्वारा वादीगण को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पत्र द्वारा बेचान की गई ?.....वादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व वादीगण का था। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्श -01 व प्रदर्श-02 बेचान रजिस्ट्रीयो की प्रतियो के अनुसार ग्राम मुण्डारा के गत् खसरा नंबर 1019 रकबा साढे 22 बीघा के खातेदार श्री लक्ष्मणपुरी चेला तेजपुरीजी जाति गुसाई निवासी मुण्डारा द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मेंसे दस बीघा दिनांक 29.06.1970 को एवं डेढ बीघा 03 बिस्वा दिनांक 09.07.1970 को अलग-अलग पंजिबद्व विक्रय विलेखों के माध्यम से वादीगण के नाम कुल साढे 11 बीघा 03 बिस्वा भूमि का बेचान किया गया है। जिन बेचान रजिस्ट्रीयो के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 336 दिनांक 25.5.1971 को वादीगण के नाम दर्ज हुआ। जिस तथ्य को प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यो p.w-01 से p.w-04 यथा गवाह रूपचन्द पुत्र हीराचंदजी जैन, धन्नाराम पुत्र डालजी घांची, गवाह हेमराज पुत्र भूरमलजी जाति जैन ने अपने बयानो में स्वीकार किया है। जिससे यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हैं कि वादग्रस्त भूमि मुण्डारा के गत् खसरा नंबर 1019 में रकबा साढे 11 बीघा 03 बिस्वा भूमि वर्ष 1970 में रजिस्टर्ड विक्रय विलेखों के माध्यम से खरीद की गई भूमि है। जिससे तनकी संख्या-03 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. क्या भू0 प्रबन्ध की कार्यवाही में वादग्रस्त भूमि के बारे में जो इन्द्राज किये गये है, वे गलत है तथा वादीगण पूर्व के इन्द्राज पुनः दर्ज करवाने के अधिकारी हैं ?.....वादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यो व तनकी संख्या-03 में किये गये विवेचन के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम मुण्डारा के गत् खसरा नंवर 1019 रकबा साढे 11 बीघा 03 बिस्वा के खातेदार नामान्तरकरण संख्या 336 दिनांक 25.5.1971 स्वीकृति के पश्चात् वादीगण राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुये जो भू0 प्रबन्ध कार्यवाही तक बदस्तुर रेकर्ड में खातेदार कायम रहे। जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 में दर्ज इन्द्राज से बखूबी होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल की प्रति के अनुसार मुण्डारा के गत् खसरा नंबर 1019 रकबा साढे 11 बीघा 03 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 1205 रकबा 1.67 कायम होने की पुष्टि होती है। तथा उक्त नये खसरा नंबर 1205 रकबा 1.67 हैक्टर मन्दीर श्री महादेवजी वाके देह खातेदार दर्ज होने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2043 से 2046 में दर्ज इन्द्राज से होती है।

पेज लगातार.....04

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण सं0 GCMS No 2022/
अनवान बसन्तकुमार वगैरा बनाम राज.सरकार वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

इस प्रकार भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी आधार अधिकार के वादीगण के खातेदारी भूमि मुण्डारा के गत् खसरा नंबर 1019 रकबा साढे 11 बीघा 03 बिस्वा से कायम नये खसारा नंबर 1205 रकबा 1.67 हैक्टर को वादीगण की खातेदारी से विलोपित करते हुये मन्दीर श्री महादेवजी वाके देह खातेदार दर्ज कर दिया गया है, भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही विधिक तौर से त्रुटिपुर्ण है। जिससे वादीगण पूर्व के इन्द्राज पुनः दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। जिससे उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

5. क्या वादग्रस्त भूमि मन्दिर श्री महादेवजी के स्वामित्व की होने से प्रतिवादी संख्या–03 को बेचान करने का अधिकार नहीं था तथा उक्त बेचान अवैद्य है, जिससे वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ?.....प्रतिवादी

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादी पक्ष का था। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्य खतौनी बन्दोवस्त संवत् 2008 से 2029 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम मुण्डारा स्थित वादग्रस्त भूमि गत् खसरा नंबर 1019 रकबा साढे 22 बीघा एवं अन्य गत् खसरा नंबर 1014, 1016, 1017, 1018 कुल खसरा–05 कुल रकबा 78 बीघा 17 बिस्वा भूमि डोली बनाम मन्दिर माहदेवजी वाके देह **एतमाम** पुजारी लछमनपुरी चेला तेजपुरी कौम गुसाई सा. देह के खुद कास्त की दर्ज होना प्रमाणित है। परन्तु इसके बाद की जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 में उक्त भूमि से मन्दिर माहदेवजी को विलोपित करते हुये लछमनपुरी चेला तेजपुरी कौम गुसाई सा. देह खातेदार दर्ज कर दिया गया। उक्त इन्द्राज किस आदेश से हुआ वर्णित नहीं किया गया है, इस प्रकार विधि विरूद्व तरीके से मन्दिर महादेवजी को विलापित करते हुये अकेले लछमनपुरी चेला तेजपुरी कौम गुसाई का नाम बतौर खातेदार दर्ज होना प्रमाणित है। राजस्व रेकर्ड में त्रुटिपुर्ण रूप से दर्ज खातेदार लछमनपुरी चेला तेजपुरी कौम गुसाई द्वारा वर्ष 1970 में वादग्रस्त भूमि मुण्डारा के गत् खसरा नंबर 1019 रकबा साढे 22 बीघा मेंसे साढे 11 बीघा 03 बिस्वा का बेचान करने से वादीगण नामान्तरकरण संख्या 336 दिनांक 25.5.1971 के द्वारा अधिकार अभिलेखों में खातेदार दर्ज हुये। विधि अनुसार बेचानकर्ता के अधिकार दुषित होने पर खरीदकर्ता के अधिकार दुषित माने जाते है। इस प्रकार मंदिर की भूमि का लछमनपुरी चेला तेजपुरी कौम गुसाई द्वारा वादीगण के पक्ष में किया गया बेचान विधि विरूद्व है। मंदिर की भूमि का बेचान करने के अधिकार लछमनपुरी चेला तेजपुरी को नहीं था, परन्तु फिर भी इनके द्वारा मंदिर की भूमि का बेचान रेकर्ड में दर्ज त्रुटिपुर्ण इन्द्राज के आधार पर वादीगण के पक्ष में किया है, जो विधिक दृष्टि से त्रुटिपुर्ण होने से वादीगण को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जिससे तनकी संख्या–05 प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

6. क्या वादीगण ने प्रतिवादी संख्या–03 को धोखे में रख कर विक्रय विलेख पत्र निष्पादित करवाया है, जिससे प्रतिवादी संख्या–03 उक्त बेचान से पाबन्द नहीं हैं ?.....प्रतिवादी पक्ष

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादी पक्ष का था। वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत बेचान रजिस्ट्रीयॉ प्रदर्श 01 व 02 के अवलोकन से यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि उक्त दस्तावेज पंजिबद्व दस्तावेज है तथा इन रजिस्ट्रीयो के स्टाम्प स्वंय लछमनपुरी द्वारा खरीदे गये है। जिस दस्तावेजो को प्रतिवादी संख्या–03 द्वारा धोखे में रख कर निष्पादित करवाये जाने का आरोप स्वीकार योग्य नहीं है। यदि दस्तावेज धोखे से निष्पादित कराये गये तो प्रतिवादी संख्या–03 द्वारा संबधित न्यायालय में फौजदारी कार्यवाही की जाती। जिससे प्रतिवादी संख्या–03 के मनगढन्त आरोप बिना प्रमाणिकता के स्वीकार योग्य नहीं है। जिससे उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी पक्ष के विरूद्व निर्णित की जाती है।

7. क्या देवस्थान विभाग इस वाद में आवश्यक पक्षकार है ?

प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादग्रस्त भूमि डोली बनाम गंदिर महादेवजी की भूमि रही है। तथा मंदिर मूर्ति को नाबालिंग माना गया है। जिससे मंदिर मूर्ति के हितो की रक्षा के लिये देवस्थान विभाग इस वाद में आवश्यक पक्षकार है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

8. अनुतोष ?

तनकी संख्या 01 से 07 उपरोक्तानुसार निर्णित होने से वादी अन्य कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं रहता है।

–:: निर्णय ::–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर गनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में ज्ञात हैं कि पुजारी लछमनपुरी चेला तेजपुरी कौम गुराई द्वारा धारित साढे 22 बीघा भूमि मेंसे साढे 11 बीघा 03 बिस्वा भूमि का बेचान रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रदर्श 01 व 02 के द्वारा वर्ष 1970 में वादीगण को किया गया। जिस बेचाननामो के आधार पर वादीगण ने नामान्तरकरण संख्या 336 दिनांक 25.5.1971 के द्वारा अधिकार अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवा दिया। जिसको भू0 प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् विलोपित करते हुये ग्राम मुण्डारा के गत् खसरा नंबर 1019 रकबा साढे 11 बीघा 03 से बने हाल खसरा नंबर 1205 रकबा 1.67 हैक्टर को सैटलमेंट वाद के अधिकार अभिलेख जमाबंदी संवत् 2043 से 2046 में

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण सं0 GCMS No 2022/
अनवान बसन्तकुमार वगैरा बनाम राज.सरकार वगैरा
***वाद अंतर्गत धारा* 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

मंदिर श्री महादेवजी वाके देह खातेदार दर्ज कर दी गई। जिसको पुनः वादीगण द्वारा खातेदारी दर्ज किये जाने की मांग की गई। जबकि प्रतिवादी पक्ष के तर्क एवं खतौनी बन्दोवस्त संवत् 2008 से 2029 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम मुण्डारा स्थित वादग्रस्त भूमि गत् खसरा नंबर 1019 रकबा साढे 22 बीघा डोली बनाम मन्दिर माहदेवजी वाके देह **एतमाम** पुजारी लछमनपुरी चेला तेजपुरी कौम गुसाई सा. देह के खुद कास्त की भूमि थी। जिसको जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 में मन्दिर माहदेवजी को विलोपित करते हुये लछमनपुरी चेला तेजपुरी कौम गुसाई सा. देह खातेदार दर्ज कर दिया गया। तथा अधिकार अभिलेखो में दर्ज त्रुटिपुर्ण इन्द्राज के आधार पर मंदिर महादेवजी की भूमि का बेचान वर्ष 1970 में वादीगण के पक्ष में कर दिया गया। जिससे तनकी संख्या–05 वादीगण के विरूद्व निर्णित की गई है। जिससे वादीगण ग्राम मुण्डारा स्थित भूमि पुराने खसरा नंबर 1019 रकबा साढे 11 बीघा 03 से बने हाल खसरा नंबर 1205 रकबा 1.67 हैक्टर की खातेदारी घोषणा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहते है। जिससे वादी द्वारा ग्राम मुण्डारा के गत् खसरा नंबर 1019 रकबा 11.13 बीघा से बने हाल खसरा नंबर 1205 रकबा 1.67 हैक्टर की घोषणा खातेदारी हेतु प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से यह ज्ञात हैं कि वादीगण की खरिदशुदा भूमि के साथ अन्य भूमि मुण्डारा के गत् खसरा नंबर 1014, 1016, 1017, 1018, 1019 कुल रकबा 78 बीघा 17 बिस्वा भूमि मंदिर महादेवजी के नाम दर्ज थी, जिसके संबध में प्रतिवादी तहसीलदार, बाली द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः तहसीलदार, बाली को निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम मुण्डारा के गत् खसरा नंबर 1014, 1016, 1017, 1018, 1019 के सबंध में गत् अभिलेखों की विस्तृत जांच कर यदि उक्त भूमि के इन्द्राज पुर्व अभिलेखों में अनियमित रूप से पाये जाते हैं तो नियमानुसार वाद/रेफरेन्स की कार्यवाही पृथक से करे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धावगुडे स्नेहल नाना)
आई.एस.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 13-09-22 को खुल्ले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner